

18.6.2018

प्रधानी राजस्व लोक अदालत द्वारा आयोजित
द्वारा 2018 के लक्ष्य प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर
प्रस्तुत हुई। प्रयोगों के अधिकारता
अधिकार। विशेषकर सार्वजनिक अधिकार
अधिकांश जो वधन अनुपस्थित। इन्हें इनके
विकल्प प्रकृति प्रकृति कार्यवाही के अधीन
दिने जाते हैं। प्रयोगों के अधिकारता
के प्रां प्रकृति अंतर्गत अधिनियम 9-विभाग 9
व्यक्ति द्वारा 151 वार प्रकृति पर बहस
कानी जारी जिससे प्रयोगों अधिकारता
की बहस सुनी गई।

प्रयोगों के अधिकारता के वाक्य
बहस प्रां प्रकृति में विहित तथ्यों को
देखाया तथा प्रां प्रकृति हीनार विभाग
जानत इस अधिनियम द्वारा प्रां प्रकृति
संख्या 16/2016 को दिनांक 6.6.2017 को
अधिनियमों में विहित विभाग जिसे
सुनः नम्बर पर हीनार वाक्य अधिनियम
का द्वारा आकृति विभाग विशेषकर

योजना विपरीत 2 जोप चारिक पड्याव होने
के बहुत नही की।

प्रीत का पत्र का अवलोकन किता
तथा प्राथमिक के अधिकाधिक की बहुत
पर गहनता है ननन किता। प्राथमिक
छात्र प्रकृत का पत्र 0-9 R-9 स्पष्ट
धारा 151 का बी. में जोकि तय प्रयत्न
हुकिता अधि उचित होते हैं शक्य
अतिरिक्त प्राथमिक छात्र का पत्र की
सम्बन्ध में प्रयत्न पत्र के प्रकृत किता
हैं। अतः अधि दिने जाते हैं कि:-

अधिश

प्राथमिक का पत्र अधिश 9 किता 9
स्पष्ट धारा 151 का बी. का स्वीकार किता
जाते हैं। इस सम्बन्ध के पत्र पत्र
संख्या 161/2016 विभागा बनात गो. 2 धन माल
अधिश धारा 212 R. 4 को दिनांक
6.6.2017 को उक्त हाजी में करिज
किता गता दिने पुनः नम्बर पर
लिखे जाने बावत अधिश दिने जाते
हैं। तदनुसार अधिश कार्यवाही सुनिश्चित
की जावे।
पञ्जवली बाद डाबला रजिस्ट्र के
द्वारा पुनः होकर नम्बर से कात है।

(Signature)